



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251]

नई दिल्ली, बुधवार मार्च 20, 2019/फाल्गुन 29, 1940

No. 1251]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 2019/PHALGUNA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019

सं. 26/2019

का.आ. 1399(अ).— आयकर अधिनियम की धारा, 194 क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) की उप खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा हाउसिंग एवं अर्बन डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.(हुडको), नई दिल्ली को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएगी।

[अधिसूचना सं. 26/2019/फा. सं.275/15/2018-आईटी-(बी)]

मो. तारिक कलीम, निदेशक (आईटी-बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2019

No. 26/2019

S.O. 1399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, the Central Government hereby notifies the Housing and Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO), New Delhi for the purpose of said clause.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 26/2019/F. No. 275/15/2018-IT(B)]

Md. TARIQUE KALIM, Director (IT-Budget)